मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

पंजीकरण दिनाँक:	निर्णय दिनाँक:	अवधि:
03/12/13	03/07/20	6 वर्ष, 7 माह, 0 दिन

एम.ए.सी.पी. संख्या– ~~216~~612 वर्ष 2013

नन्दराम उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री मुकुन्दी लाल नि. ग्राम अमरा पोस्ट अमरा तह. मोठ जिला झाँसी।

–––––याची।

प्रति

1. गुलाब सिंह पुत्र घनश्याम दास निवासी– ग्राम पाडरी पोस्ट अटरिया तहसील मोठ जिला झाँसी।

..... पंजीकृत स्वामी मोटरसाइकिल UP 93 P 2377

2. ड्राइवर अमित कुमार पुत्र गुलाब सिंह निवासी– ग्राम पाडरी पोस्ट अटरिया तहसील मोठ जिला झाँसी।

..... चालक मोटरसाइकिल UP 93 P 2377

3. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

..... बीमाकर्ता मोटरसाइकिल UP 93 P 2377

–––––विपक्षीगण।

याचीगण के अधिवक्ता––––––––––श्री राकेश श्रीवास्तव
विपक्षी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता––––श्री संजय देव शर्मा
विपक्षी सं. 3 के अधिवक्ता––––––––श्री अरुण श्रीवास्तव

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याची द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 140 व 166 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में याची नन्दराम को आयी चोटों के कारण ₹ 3,25,000/–क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. याचिका के अनुसार संक्षेप में प्रकरण यह है कि दिनांक 30/10/2013 को सायं करीब 6:00 बजे याची अपनी साइकिल से एक साइड जा रहा था। वह मोठ से अम्मरगढ़ लौट रहा था। उसी वक्त महाराजा ढाबा के पास विपरीत दिशा से आ रहे मोटरसाइकिल नंबर UP 93 P 2377 के ड्राइवर ने गलत साइड में तेजी व लापरवाही से आकर याची में टक्कर मार दी जिससे याची को गंभीर चोट आई व बाएं पैर के कूल्हे में फ्रैक्चर हो गया। यह दुर्घटना मात्र मोटरसाइकिल चालक की लापरवाही से घटित हुई। दुर्घटना को राहगीरों ने देखा व घायल के पुत्रों को सूचना दी। तब जितेंद्र ने घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। उसके बाद से शंकर हॉस्पिटल में याची का इलाज हुआ। इस दुर्घटना की वजह से याची का जीवन अंधकार में हो गया। वह पूर्व की भांति कार्य नहीं कर सकता है। दुर्घटना की रिपोर्ट याची के पुत्र कुंवर पाल द्वारा थाना मोठ मे ९ दिन बाद मोटरसाइकिल नंबर UP 93 P 2377 तथा उसके चालक सुरेश के विरुद्ध की गयी।

3. विपक्षी सं. 1 गुलाब सिंह व सुरेश (जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट मे प्रश्नगत मोटरसाइकिल का ड्राइवर बताया गया है) की ओर से 45B संयुक्त जवाबदावा दाखिल किया गया जिसमें उन्होंने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि उनके उक्त वाहन से कथित दुर्घटना नहीं हुयी है। दुर्घटना में विपक्षी मोटरसाइकिल नंबर UP 93 P 2377 के विरुद्ध तथा सुरेश पुत्र ठाकुरदास के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट गलत व असत्य सही जानकारी न होने के कारण दर्ज कराई है। पुलिस ने

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.07.08 18:53:06 IST
Reason: Document Owner
Location: MACT JHANSI

अन्वेषण के पश्चात प्रार्थी के वाहन नंबर UP 93 P 2377 के खिलाफ कोई चार्ज सीट प्रस्तुत नहीं की है। विपक्षी मोटरसाइकिल नंबर UP 93 P 2377 का पंजीकृत स्वामी है तथा अपनी मोटरसाइकिल को स्वयं ही चलाता है। उसने अपनी मोटरसाइकिल सुरेश पुत्र ठाकुरदास को चलाने को नहीं दी न ही याचिका में कथित घटना के समय दिनांक व स्थान को उसने विपक्षी की मोटरसाइकिल सुरेश पुत्र ठाकुरदास चला रहा था बल्कि उसकी उपरोक्त मोटरसाइकिल उसके घर पर खड़ी थी। उसका वाहन नंबर UP 93 P 2377 घटना के समय यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमित था। अगर याची पर किसी प्रकार का कोई दायित्व आता है तो उसकी जिम्मेदारी बीमित कंपनी की होगी।

4. पूर्व मे विपक्षी संख्या 2 के रूप मे सुरेश पुत्र ठाकुरदास योजित किया गया था किंतु तत्पश्चात अमित कुमार राजपूत के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत होने पर सुरेश पुत्र ठाकुरदास के स्थान पर अमित कुमार राजपूत को विपक्षी संख्या 2 के रूप मे योजित किया गया जिनकी ओर से भी जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है जिसमे याचिका के कथनों से इनकार किया गया है तथा अतिरिक्त कथन के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि वह याचिका में उल्लिखित दुर्घटना के समय व स्थान पर मोटरसाइकिल संख्या UP 93 P 2377 नहीं चला रहा था और ना ही उसके विरुद्ध कोई एफ आई आर दर्ज कराई गई है। याची ने पुलिस से मिलीभगत कर उसके विरुद्ध झूठा व आधारहीन आरोप पत्र दाखिल कराया गया है। उसके पास मोटरसाइकिल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस संख्या 9309001041 है जो दिनांक 21.12.2009 से 20.12.2019 तक वैध व प्रभावी है। मोटरसाइकिल संख्या UP 93 P 2377 घटना के समय यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी बीमित थी जिसकी वैधता 23.1.2013 से 22.1.2014 तक असीमित दायित्व हेतु है। अगर किसी भी प्रकार का कोई दायित्व आता है तो उसका उत्तरदायित्व बीमा कंपनी का होगा।

5. विपक्षी सं. 3 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, मोटरसाइकिल नं. UP 93 P 2377 की बीमा कम्पनी की ओर से जवाबदावा दिनॉकित 11.01.2018 दाखिल किया गया है, जिसमें उसने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि विपक्षी सं. 1 प्रश्नगत वाहन का उनके द्वारा बीमा नहीं है तथा कथित दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास उक्त वाहन चलाने का वैध लाइसेन्स नहीं था। विपक्षी बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व बीमा पॉलिसी की शर्तो के अनुसार ही होता है अन्यथा नहीं। याचीगण ने मिथ्या, फर्जी व मनगढ़ंत तथ्यों पर याचिका प्रस्तुत की है जो खारिज होने योग्य है।

6. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनॉक 06.07.2018 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः–

1. क्या दिनांक 30.10.2013 को जब याची नंदराम अपनी साइकिल से मोठ से अम्मरगढ़ लौट रहा था, तो समय करीब 6:00 बजे सायंकाल महाराजा ढाबा के पास, बहद थाना मोठ, झाँसी में विपक्षी संख्या एक के मोटरसाइकिल संख्या UP 93 P 2377 के चालक विपक्षी संख्या दो ने उक्त मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए गलत साइड में जाकर याची को जोरदार टक्कर मारकर फ्रैक्चर युक्त गंभीर चोटें पहुंचाई?

2. क्या प्रश्नगत दुर्घटना की तिथि व समय पर विपक्षी संख्या दो के पास मोटरसाइकिल चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था?

3. क्या प्रश्नगत दुर्घटना की तिथि व समय पर विपक्षी संख्या 1 की मोटरसाइकिल संख्या UP 93 P 2377 विपक्षी संख्या 3 बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के यहां विधिवत बीमित थी?

4. क्या याची कोई प्रति कर प्राप्त करने का अधिकारी है यदि हां तो कितना और किससे?

7. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:–

<u>याची द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य</u>–

1. फेहरिस्त 50 सी1 के माध्यम से एक किता मोटरसाइकिल क्रमांक UP 93 P 2377 के रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रतिलिपि, एक किता मोटरसाइकिल क्रमांक UP 93 P 2377 के बीमा की फोटो प्रतिलिपि, एक किता ड्राइवरी लाइसेंस चालक/मालिक गुलाब सिंह की फोटो प्रतिलिपि,

2. फेहरिस्त सबूत प्रपत्र संख्या 74C2 के माध्यम से एक किता असल बिल नंदराम दिनांक 31.10.2013, एक किता असल बिल महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल चिकित्सालय झाँसी दिनांक 31.10.2013, एक किता असल बिल सेठ शंकर मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल कानपुर रोड झाँसी दिनांक 02.11.2013,

3. फेहरिस्त सबूत प्रपत्र संख्या 81C2 के माध्यम से एक किता सत्यापित आदेश दिनांक 21.12.2013, एक किता सत्यापित रिलीज प्रार्थना पत्र वाहन संख्या यूपी 93 AE 9195, एक किताब सत्यापित टेक्निकल रिपोर्ट वाहन संख्या यूपी 93 AE 9195,

4. फेहरिस्त सबूत प्रपत्र संख्या 7C1 के माध्यम से एक किता फोटो कॉपी एफ आई आर, एक किता फोटो कापी इंजरी रिपोर्ट, एक किता एक्स–रे रिपोर्ट, एक किता ओपीडी का पर्चा महारानी लक्ष्मी बाई महाविद्यालय चिकित्सालय झाँसी, एक किता फोटोस्टेट पर्चा सेठ शंकर अस्पताल झाँसी, एक किता फोटोस्टेट राशन कार्ड संख्या 109088, एक किता फोटोस्टेट किसान बही नंदराम पुत्र मुकुंदी लाल, एक किता फोटोस्टेट वोटर आईडी कार्ड नंदराम पुत्र मुकुंदी लाल,

5. फेहरिस्त सबूत 35C के माध्यम से 43611 रुपए के इलाज के बिल,

6. फेहरिस्त सबूत 37C के माध्यम से एक किता असल सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि F.I.R., एक किता असल सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि आरोप पत्र, एक किता असल सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि फोलियो के साथ नक्शा नजरी, एक किता असल सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि इंजरी रिपोर्ट,

7. फेहरिस्त सबूत 88C1 के माध्यम से एक किता सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि बयान मुलजिम,

8. फेहरिस्त सबूत प्रपत्र संख्या 7C1 के माध्यम से एक किता फोटो कॉपी एफ आई आर, एक किता फोटोकापी इंजरी रिपोर्ट, एक किता एक्स–रे रिपोर्ट, एक किता ओपीडी का पर्चा महारानी लक्ष्मी बाई महाविद्यालय चिकित्सालय झाँसी, एक किता फोटोस्टेट पर्चा सेठ शंकर अस्पताल झाँसी, एक किता फोटोस्टेट राशन कार्ड संख्या 109088, एक किता फोटोस्टेट किसान बही नंदराम पुत्र मुकुंदी लाल, एक किता फोटोस्टेट वोटर आईडी कार्ड नंदराम पुत्र मुकुंदी लाल,

9. फेहरिस्त सबूत 35C के माध्यम से 43611 रुपए के इलाज के बिल,

10. फेहरिस्त सबूत 37C के माध्यम से एक किता असल सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि F.I.R., एक किता असल सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि आरोप पत्र, एक किता असल सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि फोलियो के साथ नक्शा नजरी, एक किता असल सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि इंजरी रिपोर्ट,

11. फेहरिस्त सबूत 88C1 के माध्यम से एक किता सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि बयान मुलजिम।

<u>विपक्षी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य</u>–

12. फेहरिस्त सबूत प्रपत्र संख्या 54C1/1 के माध्यम से एक किता फोटो कॉपी चालन अनुज्ञप्ति अमित कुमार पुत्र गुलाब सिंह ग्राम पाडरी पोस्ट अटरिया तहसील मोठ झाँसी,

<u>विपक्षी सं. 3 द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य</u>–

13. फेहरिस्त सबूत प्रपत्र संख्या 81C2 के माध्यम से एक किता सत्यापित आदेश दिनांक 21.12.2013, एक किता सत्यापित रिलीज प्रार्थना पत्र वाहन संख्या यूपी 93 AE 9195, एक किता सत्यापित टेक्निकल रिपोर्ट वाहन संख्या यूपी 93 AE 9195,

<u>याची द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य</u>–

14. याची की ओर से साक्ष्य में पी.डब्लू. 1 के रूप में याची नन्दराम स्वयं को व पी.डब्लू. 2 के रूप में राजीव कुमार को परीक्षित कराया गया है,

15. विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है।

8. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रस्तुत पत्रावली विगत साढ़े छः वर्ष से लंबित है। आदेश पत्रक से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी संख्या 1 व 2, जो कि पिता–पुत्र हैं, ने इस पत्रावली को जानबूझकर विलंबित करने की कई युक्तियॉ लगाई हैं। विपक्षी संख्या 1 गुलाब सिंह ने तामीला के बाद अनेंक तिथियां नियत किए जाने के बावजूद 1 वर्ष तक जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया। जब विपक्षी संख्या 1 के विरुद्ध न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 24.8.2015 को एकपक्षीय कार्रवाई का आदेश पारित किया गया तब जाकर विपक्षी संख्या 1 ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने जवाबदावे में वाहन के बीमित होने का कथन तो किया किंतु बीमा कंपनी का नाम नहीं बताया और न्यायाधिकरण द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश के बावजूद व अनेंक तिथियां नियत किए जाने के बावजूद न ही न्यायाधिकरण के सामने उपस्थित हुए और ना ही बीमा कंपनी का नाम बताया अतः विपक्षी संख्या 1 के विरुद्ध दिनांक 06.01.2016 को पुनः एक पक्षीय कार्रवाई प्रारंभ हुई। तत्पश्चात विपक्षी संख्या 2, जो कि विपक्षी संख्या एक के पुत्र हैं, ने तामीला के बाद अनेंको तिथियां नियत किए जाने के बावजूद जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया। अतः विपक्षी संख्या 2 के भी विरुद्ध दिनांक 16.03.2018 को एक पक्षीय कार्रवाई प्रारंभ कर पत्रावली साक्ष्य में नियत की गई। अनेंक तिथियां नियत किए जाने के बाद विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा पी.डब्लू. 1 से मात्र यह प्रति परीक्षा की गई है कि 'यह कहना गलत है की मोटरसाइकिल नंबर UP 93 P 2377 से कोई दुर्घटना ना हुई हो। 'यह कहना गलत है कि मोटरसाइकिल नंबर UP 93 P 2377 घटनास्थल पर मौजूद ना हो।' दिनांक 13.9.2018 को विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा पी.डब्ल्यू. 2 से प्रति परीक्षा न करने पर अवसर समाप्त किया गया और तत्पश्चात विपक्षी साक्ष्य के अनेंक अवसर दिए गए किंतु विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और तब पत्रावली बहस में नियत की गई तत्पश्चात यह पत्रावली स्थानांतरित होकर इस न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुई। इन परिस्थितियों में मैंने याची व विपक्षी सं. 3 की ओर से वर्चुअल कोर्ट मे उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया। याची व विपक्षी सं. 3 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का भी अवलोकन किया।

9. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1</u>

वाद बिन्दु सं. 1 को साबित करने के लिये याची की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, आरोप–पत्र तथा इलाज के प्रपत्रों की सत्यापित व मूल प्रतियॉ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गयी हैं तथा मौखिक साक्ष्य के अन्तर्गत चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में पी.डब्लू. 1 याची नन्दराम स्वयं व पी.डब्लू. 2 के रूप में राजीव कुमार को परीक्षित कराया गया है। पी.डब्लू. 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथ बयान किया है कि घटना दिनांक 30.10.13 की है। शाम 6:00 बजे की है। वह मोठ से अमरा साइकिल से आ रहा था। जैसे ही वह महाराजा ढाबा के पास पहुंचा तो सामने से टीवीएस स्टार मोटरसाइकिल नंबर UP 93 P 2377 के ड्राइवर ने तेजी से अपने गलत साइड में आकर उसकी साइकिल में टक्कर मार दी जिससे उसकी बांई कमर व पैर में गंभीर चोट आई। पैर में फ्रैक्चर हो गया था। घटना को राजीव कुशवाहा व जगदीश वर्मा ने देखा था। महाराजा ढाबे वाले ने व मौके पर मौजूद राहगीर ने उसके पुत्र को सूचना दी फिर उसके लड़के जीतेंद्र ने उसे मेडिकल में भर्ती कराया। पहले मोठ में दिखाया था। वहां भर्ती करने से मना कर दिया तो झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।

10. चक्षुदर्शी पी.डब्लू. 2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथ बयान किया है कि घटना 30.10.2013 शाम करीब 6:00 बजे की है। वह मोटर साइकिल से मोठ से अमरा आ रहा था। जब वह महाराजा ढाबा के पास पहुंचा सामने से मोटरसाइकिल नंबर UP 93 P 2377 के चालक ने तेजी व लापरवाही से उसके आगे साइकिल से चल रहे नन्दराम मे गलत साइड में आकर टक्कर मार दी जिससे उनके बांयें पैर में गंभीर चोट आई व पैर में फ्रैक्चर हो गया था। ये घटना मोटरसाइकिल चालक की गलती से हुई है। उसके अलावा जगदीश व दुर्गेश ने घटना देखी है। इन दोनों साक्षीगण की प्रति परीक्षा मे ऐसी कोई तात्विक विसंगति स्पष्ट नहीं हुई है जिससे साक्षीगण की सत्यता पर संदेह किया जा सके। साक्षीद्वय आरोपपत्र के साक्षी है।

11. बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पुलिस विवेचना के पश्चात प्रस्तुत आरोप पत्र मे आरोपित वाहन UP 93AE 9195 है एवं आरोपित चालक अमित कुमार है किंतु आरोपित वाहन UP 93AE 9195 की बीमा कम्पनी को पक्षकार नही बनाया गया है। बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि वाहन स्वामी ने न तो स्वयं को परिक्षित कराया है और ना ही ऐसा कोई ठोस व स्वीकार योग्य साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित होता हो कि दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाइकिल UP 93AE 9195 थी। इस प्रकरण में विवेचना बहुत ही संदिग्ध है। जिन साक्षी गण के आधार पर विवेचना अधिकारी द्वारा मोटरसाइकिल UP 93AE 9195 के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है वही साक्षी गण न्यायालय के समक्ष दिए गए साक्ष्य में दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाइकिल का नंबर UP 93 P 2377 बताते हैं। पी.डब्लू. 2 ने अपनी प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि विवेचना अधिकारी ने उनके बयान नहीं लिए जबकि विवेचना अधिकारी द्वारा आरोपपत्र में इसे साक्षी के रूप में दर्शाया गया है। विवेचना अधिकारी को परिक्षित नही कराया गया है। ऐसे मे मात्र संदिग्ध आरोपपत्र के साक्ष्यिक मूल्य पर न्यायाधिकरण के समक्ष पी.डब्लू. 1 तथा पी.डब्लू. 2 द्वारा दिए गए साक्ष्य का साक्ष्यिक मूल्य अभिभावी (superseed) होगा। स्वीकृत रूप से मोटरसाइकिल नंबर UP 93 P 2377 तथा मोटरसाइकिल UP 93AE 9195 दोनो के स्वामी विपक्षी संख्या 1 गुलाब सिंह है। चालक सुरेश की जगह अमित कुमार को बना देने तथा वाहन संख्या UP 93 P 2377 की जगह UP 93AE 9195 कर देने से गुलाब सिंह का दोहरा लाभ होता है। पहला यह कि याचिका संदिग्ध हो जाएगी और रमेश की चालन अनुज्ञप्ति, जो कि संभवतः नही है, प्रस्तुत करने की बाध्यता से मुक्ति मिल जाने पर क्षतिपूर्ति के

दायित्व से मुक्ति मिल जायेगी और दूसरा यह कि आपराधिक मुकदमे मे भी आरोपित अमित कुमार को एफ.आई.आर. मे सुरेश का नाम होने के कारण संदेह का लाभ मिलने पर दोष मुक्ति हो जाएगी और पूरा प्रकरण रफा–दफा हो जायेगा। मोटरसाइकिल UP 93AE 9195 की टेक्निकल रिपोर्ट मे मोटरसाइकिल मे किसी नुकसान का उल्लेख नही है जिससे इस बात को समर्थन मिलता है कि इस मोटरसाइकिल से दुर्घटना नहीं हुई है बल्कि निहित उद्देश्यों के कारण इस मोटरसाइकिल को इंवॉल्व किया गया है। नक्शा नजरी साक्षी की निशानदेही पर बनाई जाती है। नक्शा नजरी मे वाहन संख्या UP 93 P 2377 व चालक सुरेश का ही जिक्र है। नक्शा नजरी निम्नवत है–

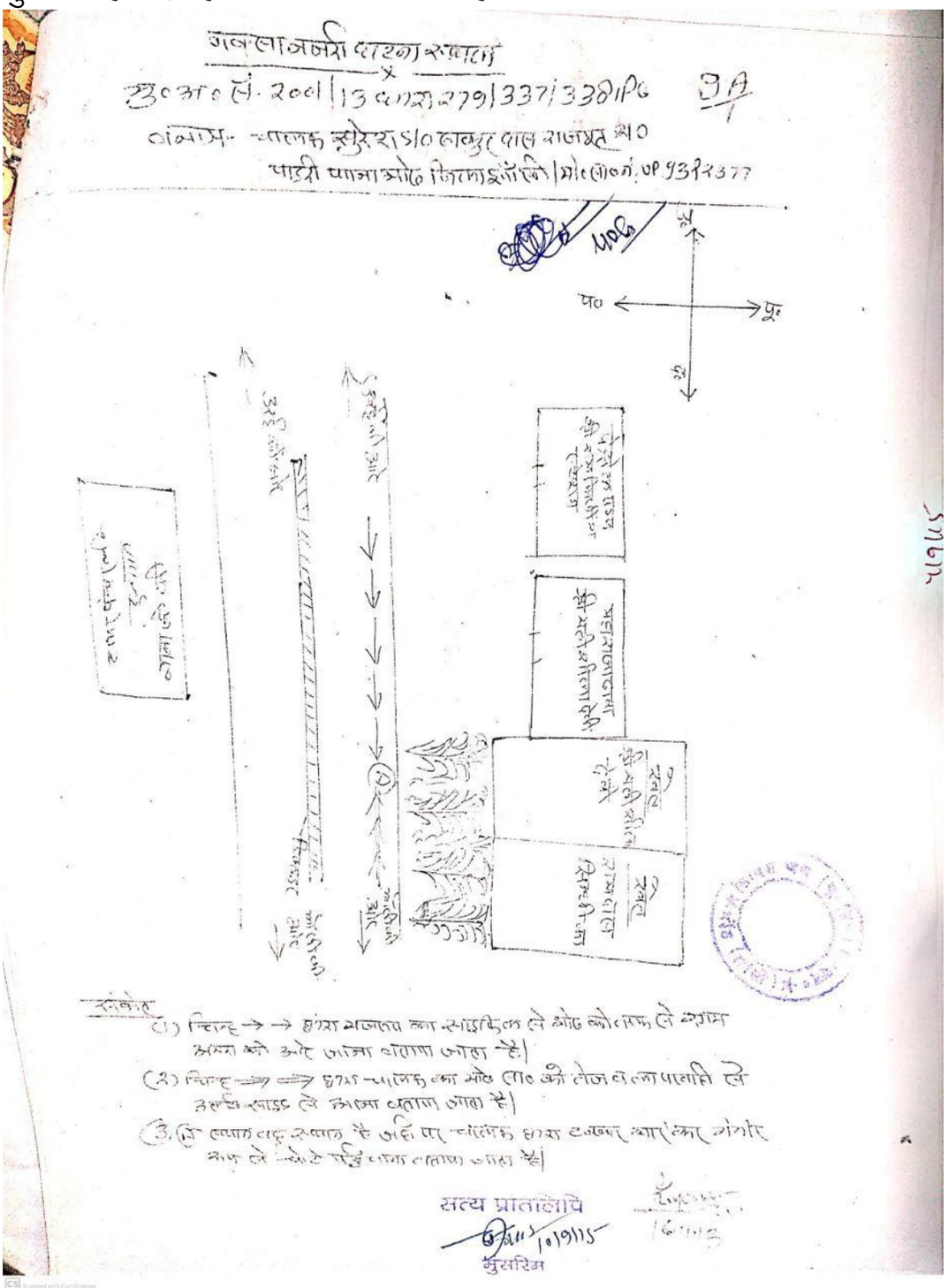

12. बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कुछ ऐसे तर्क रखे गए हैं जो कि अति काल्पनिक है जैसे पी.डब्लू. 2 के संबंध में यह तर्क रखा गया है कि यदि वह 100 मीटर

पीछे चल रहा था तो अक्टूबर माह में शाम 6:00 बजे वह घटना नहीं देख सकता। मेरे विचार से विद्वान अधिवक्ता यह तथ्य भूल रहे हैं पी.डब्लू. 2 मोटरसाइकिल से है और याची साइकिल से। 100 मीटर की दूरी बहुत अधिक दूरी नहीं होती। मोटरसाइकिल के हेडलाइट में दुर्घटना भी देखी जा सकती है और दुर्घटना कारित करने वाले मोटरसाइकिल का नंबर भी देखा जा सकता है और यह भी जरूरी नहीं दुर्घटना के तुरंत बाद दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाइकिल को दुर्घटना के बाद भागने में जरा सा भी समय ना लगा हो। बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 10 दिन विलम्ब से लिखाई गई है। इस संबंध मे यह कहने की आवश्यकता नही कि मोटर वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति याचिकाओं में साक्ष्य का स्तर दांडिक मामलों की तरह नहीं होता है। विधि व्यवस्था रवि बनाम बद्रीनारायण व अन्य (18.02.2011 – SC): MANU / SC / 0133/2011 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि *मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावे के लिए एफ.आई.आर. निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को साबित करती है जिससे कि पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिए एक मामले को दर्ज करने में सक्षम है लेकिन ऐसा करने में देरी दावे को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकती है। घटनाओं के संचयी प्रभाव को आंका जाना है।* [पैरा – 20 और 21]

विधि व्यवस्था **अर्चित सैनी व अन्य बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य (09.02.2018 – SC): MANU / SC / 0105/2018** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि *मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले में दावेदारों को मामले मे इतनी यात्रा की आवश्यकता नहीं है जितनी एक आपराधिक मुकदमे में। न्यायालय को इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। एक विशेष बस द्वारा एक विशेष ढ़ंग से दुर्घटना कारित किए जाने को सख्त सबूत द्वारा साबित किया जाना दावेदारों के लिए संभव नहीं है। दावेदारों को केवल अधिसंभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर अपना मामला स्थापित करना था। उचित संदेह से परे प्रमाण का मानक नहीं हो सकता था।*

डिस्चार्ज कार्ड प्रपत्र सं. 12C1 के अनुसार याची को फ्रैक्चर है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य के विवेचन के पश्चात मै इस निष्कर्ष का हूं कि वाद बिंदु संख्या एक इस प्रकार साबित होता है कि दिनांक 30.10.2013 को जब याची नंदराम अपनी साइकिल से मोठ से अम्मरगढ़ लौट रहा था, तो समय करीब 6:00 बजे सायंकाल महाराजा ढाबा के पास, बहद थाना मोठ, झाँसी में विपक्षी संख्या एक के मोटरसाइकिल संख्या UP 93 P 2377 के चालक ने उक्त मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए गलत साइड में जाकर याची को टक्कर मारकर फ्रैक्चर युक्त गंभीर चोटें पहुंचाई किंतु चालक कौन था यह बात साबित नहीं होती है। तदनुसार वाद बिंदु संख्या एक निर्णीत किया जाता है।

13. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 2</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर विपक्षी सं. की ओर से फेहरिस्त सबूत प्रपत्र संख्या 54C1/1 के माध्यम से एक किता फोटो कॉपी चालन अनुज्ञप्ति अमित कुमार पुत्र गुलाब सिंह ग्राम पाडरी पोस्ट अटरिया तहसील मोठ झाँसी प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार यह चालन अनुज्ञप्ति दिनॉक 21.12.2009 को जारी की गयी है तथा यह 20.12.2009 तक मोटरसाइकिल व हल्का वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। इस अनुज्ञप्ति का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। घटना दिनॉक 30.10.2013 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत दुर्घटना की तिथि व समय पर विपक्षी संख्या दो के पास मोटरसाइकिल चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था।

14. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से फेहरिस्त 50 सी1 के माध्यम से एक किता मोटरसाइकिल क्रमांक UP 93 P 2377 के रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार उक्त मोटरसाइकिल क्रमांक UP 93 P 2377 का बीमा दिनॉक 23.01.2014 से 22.01.2014 तक प्रभावी है। इस बीमा पॉलिसी का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। घटना दिनॉक 30.10.2013 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटना की दिनॉक व समय पर मोटरसाइकिल क्रमांक UP 93 P 2377 विपक्षी सं. 3 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमित थी। तदनुसार वाद बिन्दु सं. 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

15. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4</u>

वाद बिन्दु सं. 1 के निस्तारण से यह साबित है कि प्रश्नगत दुर्घटना के दिनांक व समय पर मोटरसाइकिल क्रमांक UP 93 P 2377 का चालक उक्त मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और याची में टक्कर मार दी जिससे याची को गम्भीर चोटें आयीं और फ्रैक्चर हो गया। इस प्रकार याची क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। अब प्रश्न यह है कि किस विपक्षी से और कितनी? चूंकि वाहन स्वामी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दुर्घटना के समय मोटरसाइकिल संख्या UP 93 P 2377 को कौन चला रहा था तथा उसकी चालन अनुज्ञप्ति है या नहीं अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व बीमा कंपनी पर न जाकर वाहन स्वामी का ही बनता है।

16. स्थाई रूप से विकलांगता का कोई कथन या साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। पी.डब्लू.1 ने यह साक्ष्य दिया है कि दुर्धटना में उसको गंभीर चोटें आईं। मेडिकल में 1 दिन भर्ती रहा। उसके बाद वह शंकर हॉस्पिटल में करीब 8–9 दिन भर्ती रहकर इलाज कराया। इलाज में उसका 50–55 हजार रुपया खर्च हुआ। उसने करीब 45,000 रुपये के बिल दाखिल किए हैं। दुर्घटना के समय वह खेती का कार्य करता था। उसके पास 5 बीघा जमीन है। वह साल में 30–35 हजार कमा लेता था। वह कभी–कभी मजदूरी भी करता है जिससे वह लगभग कभी ₹500 ए कभी ₹600 रोज कमा लेता था। दुर्घटना के बाद वह काम नहीं कर पाता है। वह बगैर सहारे नहीं चल सकता है। न्यायालय लकड़ी को के सहारे चल कर आया है। दावा उसने 3,25,000 का किया है। उसने दावे के समर्थन में पेपर संख्या 35C के द्वारा दवाइयों के बिल दाखिल किए एवं पेपर संख्या 36C के द्वारा सभी पेपर की सत्य प्रतिलिपि दुर्घटना के संबंध में पेश किए हैं। याची की ओर से दुर्घटना में आयी चोटों व इलाज के समर्थन में फेहरिस्त 74 सी2 के माध्यम से महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज झॉसी आकस्मिक विभाग व सेठ शंकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का असल डिस्चार्ज टिकिट, इलाज के पर्चे, इंजरी रिपोर्ट, फेहरिस्त 35 सी के माध्यम से दावाओं के बिल आदि दाखिल किये गये हैं। 42,611 रुपये के बिल प्रस्तुत किए गए हैं जिनके सापेक्ष 41,986 रु. के बिल मैं उचित पाता हूॅ। प्रकरण की समस्त परिस्थितियों में उक्त गंभीर चोटों पर मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए 5,000 रु., पुष्टाहार के लिए 5,000 रु., सहायक की सेवाओं के लिए खर्च पर 3,000 रु., इलाज के लिए अवागमन पर खर्च 1,000 रु. व अस्थायी रूप से कार्य न कर पाने की हानि के लिए 2,000 रु. दिलाया जाना भी न्यायोचित समझता हूॅ। इस पर ब्याज 7.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से याचिका प्रस्तुत करने के दिनॉक से दिलाया जाना भी न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

याची की याचिका विपक्षी सं. 1 के विरुद्ध आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि **₹ 57,986/– (सत्तावन हजार नौ सौ छियासी**) मय 7.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए स्वीकार की जाती है।

विपक्षी सं. 1 को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनॉक से 60 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि को न्यायाधिकरण के खाते मे जमा कर दें जिसे याची अपने खाते मे RTGS/NEFT के माध्यम से नगद प्राप्त करेगा।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक 03.07.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनॉक 03.07.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण,
झाँसी।